

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXVIII, Thirteenth Session, 2017-2018/1939 (Saka)
No. 13, Friday, January 5, 2018/Pausha 15, 1939 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 261 to 264	8-50
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 265 to 280	51-113
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220	114-587

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	588-640,644-648
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	641
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
Minutes	642
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
18 th Report	642
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS	
17 th to 19 th Report	643
STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT	
294 th to 299 th Reports	649
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2831 DATED 4.1.2018 REGARDING IMPLEMENTATION OF DILRMP IN ANDHRA PRADESH	650-652

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) Outcomes of 11th Ministerial Conference of the World Trade Organization held in Buenos Aires, Argentina

Shri Suresh Prabhu

653-654

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 245th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Culture

Dr. Mahesh Sharma

655

- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 280th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Shri Giriraj Singh

656

- (iv) status of implementation of the recommendations contained in the 201st Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Arjun Ram Meghwal

656

- (v) Status of implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, on Demands for Grants (2017- 18) pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers

Shri Mansukh L. Mandaviya

657

- (vi)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 131st Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 123rd Report of the Committee on Export Infrastructure in India, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry

658

(vi)(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 133rd Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2017-18), Demand No.12, pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry 659

(vi)(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 135th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 132nd Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), Demand No.11, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

Shri Suresh Prabhu 660

(vii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 274th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 265th Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16), Demand No. 60, pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development 661

(vii)(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 279th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2016-17), Demand No. 52, pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development 662

(vii)(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 284th Report of the Standing Committee on Human 63 Resource Development on the subject 'Issues and Challenges before Higher Educational Sector in India', pertaining to the Ministry of Human Resource Development

Dr. Satya Pal Singh 663

CONSUMER PROTECTION BILL, 2015- Withdrawn 664

GOVERNMENT BILLS-Introduced

(i) Consumer Protection Bill, 2018	665
(ii) New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018	666-667

VALEDICATORY REFERENCE	668-670
-------------------------------	---------

NATIONAL SONG	670
----------------------	-----

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	671
Member-wise Index to Unstarred Questions	672-677

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	678
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	679

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, January 5, 2018/Pausha 15, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 261.

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Not in the Question Hour.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I can understand it, but not today.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है लेकिन क्वेश्चन के समय नहीं।

...(व्यवधान)

11.01 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS****HON. SPEAKER:** Q. No.261, Shri Vikram Usendi.**(Q. 261)**

श्री विक्रम उसेंडी : माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आयुर्वेद मंत्री, योग मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे देश में 10,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है लेकिन 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। दुनिया के मापदंड के हिसाब से देखा जाए तो 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए।... (व्यवधान)

एक रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से 30,000 डॉक्टर्स प्रतिवर्ष निकलते हैं, वर्तमान में 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर की व्यवस्था करने के लिए लगभग 3,00,000 डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो तीन साल का मेडिकल कोर्स कर चुके हैं, ऐसे बहुत से लोग छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में हैं, लेकिन उनको मान्यता नहीं मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यवस्था ज्यादा ठीक-ठाक हो, इसके लिए क्या उनको मान्यता देने के संबंध में इस पर मंत्री जी कुछ विचार करेंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया जी, छत्तीसगढ़ में जिन लोगों ने तीन सालों का कोर्स किया था, वह एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। राज्य सरकार ने जो कुछ कोर्स करवाए थे, वह ऑथेंटिक नहीं थे, अथॉराइज्ड नहीं किया गया था। इंडियन मेडिसिन काउंसिल के कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने उसे विद्वा कर लिया, इसलिए उसको मान्यता देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

माननीय सदस्य ने सही कहा है कि डॉक्टर्स की संख्या कम है, हम यह मानते हैं, लेकिन आज आयुष सिस्टम भी उसमें सम्मिलित हुआ है। माननीय सदस्य जो संख्या बता रहे हैं, वह एलोपैथी के आधार पर रेश्यो बना है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसमें आयुष के भी सात लाख डॉक्टर्स सम्मिलित करें तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, एक हजार व्यक्ति पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, वह संख्या पूरी हो जाएगी।

श्री विक्रम उसेंडी : अध्यक्ष महोदया, चूंकि वर्तमान में डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम को भारत के अलावा विश्व के दूसरे देशों में भी मान्यता मिली है। इन्होंने तीन वर्ष का कोर्स किया है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, तो वहां सबसे ज्यादा प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और वहां डाक्टरों की कमी है। हम इन्हें छह माह या एक साल का प्रशिक्षण देकर ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिला सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे प्राइवेट डाक्टर और व्यवस्था रहती है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से शहरों में बहुत अधिक लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में झोला-छाप डाक्टरों की भी शिकायतें आती रहती हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, तीन साल के कोर्स को केंद्र सरकार ने मान्यता नहीं दी है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कम से कम 27 हजार आयुष पद्धति के डाक्टर्स को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर आयुष स्कीम के तहत जॉब दी है। इसमें और भी सात लाख डाक्टर्स हैं। यदि सभी को सम्मिलित कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि डाक्टर्स की कमी नहीं होगी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कोर्स किया है, उसे मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। आप प्रयास करें कि यदि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया इसे मान ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

DR. BOORA NARSAIAH GOUD : First of all, the word 'alternative medicine' itself, in my opinion, is not correct because AYUSH, i.e. Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homoeopathy, has got its own role and it is not an alternative to allopathy. It has its own role. It is like Lok Sabha and Rajya Sabha. The Lok Sabha is not an alternative to the Rajya Sabha and the Rajya Sabha is not an alternative to the Lok Sabha. I request the Minister to take this into consideration and correct the nomenclature of the alternative medicine.

Second, we must appreciate Shri Narendra Modi ji and the NDA Government for bringing recognition to Yoga in UN and WHO and for celebrating the Yoga Day. But, unfortunately, Yoga is catching up all over the world except in India. If you go to the western countries like America, the UK, Canada, Singapore and even the Muslim countries, people teach Yoga to their children but not in our country where the Yoga originated. Why do we not make it a part of our curriculum? It is a preventive medicine. I think, if all our hon. Members practise ten minutes of Yoga, most of their sugar levels will come down. The Lok Sabha would run in a much better fashion.

There is a National Medical Council in our country. We should allow prescription of certain medicines which are life-saving medicines by giving adequate knowledge. But making an Ayurvedic doctor an Allopathic doctor would not serve its purpose. They will

become a 'Jack of all trades and master of none'. Through you, Madam, I would like to ask the Government, specifically, that adequate number of posts should be created in the AYUSH field in CGHS, in Central Government Hospitals and also in the State Governments Hospitals and it should not be seen as an alternative medicine.

I request the Minister to open a health university, particularly, in Hyderabad which was the place where Anaesthesia was administered for the first time in the world. I hope he will concede to my request.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर हम जरूर गौर करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो "ऑल्टरनेटिव मेडिसिन" शब्द इसमें आया है, वह छत्तीसगढ़ में जो तीन साल का कोर्स है, उसके लिए है। मैं आपसे सहमत हूं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का पूरा सिस्टम आयुष का हो जाएगा। जैसा आपने योगा के लिए कहा है, मैंने बताया है कि हमारे मंत्रालय ने 27 हजार डाक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जॉब दिया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें भी हमारे डाक्टर काम कर रहे हैं। धीरे-धीरे आयुष इसमें एकोमोडेट हो रहा है। यह अच्छा सिग्नल है और कुछ समय में ही आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे।

DR. P. VENUGOPAL : Madam Speaker, as the House knows, doctors of systems of alternative medicine or AYUSH doctors can never be substitutes to MBBS doctors by any yardstick and standard. The hon. Minister said in his reply that the Government does not give recognition to such courses. I would say that even when there is a shortage of doctors, those who have practiced alternative medicine should not be substituted for doctors in modern medicine. On a daily basis we find that there is advancement in medical field and doctors and specialists are trying their best to cope with the advancement. That being the case, the doctors of alternative medicine will find it all the more difficult to cope with the ailments and the courses of their treatment.

To apprise the House of the history in Tamil Nadu, the then Union Health Minister Shri Raj Narain introduced the concept of barefoot doctors. Our party opposed it when MGR was the Chief Minister of Tamil Nadu. Presently, Tamil Nadu has 22 medical colleges producing sufficient doctors. Hence, I would ask the Union Minister whether he

will assure the House that the Government will not substitute doctors of modern medicine with the doctors of alternative medicine even in cases of dire necessity.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया है। इसमें कभी कम्पेयर नहीं किया जाता है क्योंकि एलोपैथी सिस्टम अलग है और आयुर्वेद सिस्टम अलग है। एलोपैथी सिस्टम में साढ़े पाँच साल का कोर्स है, उतने समय का ही कोर्स आयुर्वेद सिस्टम में भी है। इसे जानते हुए, आयुष मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के बराबर काम प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमारे डाक्टर्स काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से, इसमें कोई डिफरेंस है, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE : Madam Speaker, day by day demand for ayurvedic products is rapidly increasing in medicines, cosmetics and other consumer products because of which different formulas are coming up. This will give a huge opportunity to farmers for medicinal plantation. Medicinal plantation in general is of high value. Also, it is always difficult for a farmer to invest and diversify into a new product especially when there is no ecosystem. I would like to ask the hon. Minister whether AYUSH and Agriculture Ministries are planning to work together and introduce schemes for helping farmers to get into medicinal agriculture in a big way.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन, मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल प्लांटेशन बोर्ड में बहुत बजट है। हम राज्य सरकारों के द्वारा मेडिसीनल प्लांट्स और हर्ब्स को प्रमोट करते हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, यह सही है कि आज हर्ब्स या मेडिसीनल रॉ-मटेरियल्स की माँग ज्यादा है। हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलकर इनका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : Madam Speaker, the saddest thing about our terrible shortage of doctors is that it is manmade. Over the last many years, the Medical Council of India, which has been variously described as one of the most corrupt bodies in the country, has created this shortage; and this is being filled with quacks. There was an incident in my Constituency last year where we found quacks who are actually not even from India but are coming from neighbouring countries and practicing medicine. This is a terrible situation. So, I think it is a good thing that the Government has taken steps to

replace the Medical Council of India with a new setup. But there have been reports in the media of exactly what some of my colleagues have been asking and we did not get a clear answer, that apparently a shortcut is being sought to allow ayurvedic and other doctors to prescribe allopathic medicines.

I am glad that the hon. Minister has clarified that this question does not arise. This is important to be clarified because this is not a shortcut which can be done. It will take several years to set up many more medical colleges to create regular doctors that are required to fill up the shortages in the hospitals. The shortcuts will not serve the purpose; they are not good. They will lead to serious problems in the country. Ayurveda, indeed, is a separate system. It is good for preventative medicine, but it is not to be confused with the kind of strong medicines and acute intervention that is required in allopathic system and in hospitals. Will the hon. Minister undertake and assure the House that they will disseminate this information? It is because there is a lot of disinformation in the media that the Government is planning to resort to such shortcut. It is important to disseminate this, otherwise quacks will take advantage of this. Quacks who may have some other qualifications or no qualifications will start prescribing medicines and the local authorities will not be aware that it is illegal.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बिल पेश किया गया है, वह हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री का है। यह बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया गया है। उसकी डिटेल्ड जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उस संबंध में जब अवसर मिलेगा, तो मैं कनवे करूँगा।

माननीय अध्यक्ष : आपके मंत्रालय से संबंधित बहुत-से सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

DR. FAROOQ ABDULLAH : Hon. Speaker Madam, I thank you for permitting me to ask this question. In my State, people do not accept Ayurvedic and other medicines. They want doctors of allopathic medicine. I would like to ask the hon. Minister a simple question. Is there a scheme from the Government of India where these Ayurvedic doctors and *hakims* can take a short course in MBBS so that they can also become allopathic

doctors? Otherwise, they are using allopathic drugs without knowing the effects of those drugs. So, it is important to change the system for the betterment of population because the population wants better medicine. Therefore, it will be good if those doctors are converted into MBBS. Is there any such scheme that the Government of India proposes?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्कीम के बारे में जानकारी चाही है, यह एमसीआइ और हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री का काम है। जो बिल इंट्रोड्यूज़ किया गया है, उसमें कुछ प्रावधान हो सकता है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर क्या किया जा सकता है, अभी इस बारे में, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ।

श्री दिनेश त्रिवेदी : माननीय अध्यक्ष महोदया, हिन्दुस्तान की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। जहाँ तक औषधियों की बात की जाए, तो चरक संहिता बहुत ही पुरानी है। आजकल एलोपैथी में बहुत-से स्पूरियस ड्रग्स मिलते हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद में, जैसा कि अभी बताया गया कि इसमें बहुत-से क्वैक डॉक्टर्स आ गये हैं, कोई ऐसा तरीका है, जैसे लेबलिंग वगैरह है, जिससे जाना जा सके कि कौन-सी मेडिसीन स्पूरियस है और कौन-सी मेडिसीन असली है। इससे बिना वजह आयुर्वेद बदनाम हो रहा है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसके बारे में जो फार्माकोपिया कमीशन है और जो अथॉरिटी है, वह हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है। कुछ लेबोरेट्री इंस्पेक्टर्स भी हैं और गलत एडवर्टाइज़मेंट करने वाले के लिए भी दण्ड का प्रावधान किया है। इस पर हम सख्ती से नज़र रख रहे हैं और आगे भी इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी।

(Q. 262)

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY : Respected Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak in this august House. In India, farmers are suffering from droughts. In this country, 70 per cent of the people are farmers. Very often, droughts occur here and there. We have seen the drought and because of that, farmers are suffering. No doubt, the Government is giving a lot of help and other things. I have only one request. It is across all parties in India, not one party, right from Kashmir to Kanyakumari; the governments are purchasing votes with people's money. No doubt some subsidies are necessary in this country. But to purchase votes to gain power, people are spending like anything.

My request to the hon. Prime Minister through our hon. Finance Minister is only this. Fix some percentage in the Budget. Whether it is the Congress, TDP, Trinamool or whatever it may be, in the Budget, you fix 40 per cent or 50 per cent as per their choice. For example, in Tamil Nadu, they are giving *mangalasutra* for the purpose of votes. It is necessary for marriage. ... (*Interruptions*) Please listen to me. I am not criticising. I am only taking an example. ... (*Interruptions*) In Andhra Pradesh, we are giving rice at Re. 1 per kilogram whereas we are purchasing rice at the rate of Rs. 10 or Rs. 20 per kilogram; even a *beedi* costs 50 paise. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You please ask your question.

... (*Interruptions*)

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY : I am asking my question. ... (*Interruptions*)

This country needs river linkage. My Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu has taken up and has successfully completed Godavari-Krishna linkage. 'Irrigation' is a subject in the Concurrent List. It must be in the hands of the Government of India like Railways or Defence so that many hurdles could be solved. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I do not know what your question is.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You wanted to ask a question on loan waiver.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please ask a direct question.

... (*Interruptions*)

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY: That is why I am asking this. ... (*Interruptions*)

Will the Government think of giving certain percentage to be given in the Budget?
Can you change the Constitution? That is one question. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can ask only one question. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY : The second question is on the linkage of rivers. ...
(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, Minister.

... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, many observations have been made by the hon.
Member in his question. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You need not respond to all the observations.

... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I agree with the spirit of what he has said because in substance
what he has really said is that the agriculture sector is one which needs support. It needs
the support of the Government because of the obvious limitations in that sector.

It is true that despite resource constraints both State Governments and Central Governments have been making various efforts. For instance, this year, support being given to rural areas and agriculture amounts to almost Rs. 2,92,000 crore as far as the Central Budget is concerned; there are State Budgets which are making similar contributions.

The hon. Member is right that there were pending irrigation schemes which the Central Government has taken up because of the concurrent nature of the subject. The inter-linking of rivers, particularly in Madhya Pradesh and now in Andhra Pradesh and Gujarat, has brought results wherever it has been done and the Central Government would be open to encouraging all such proposals which come before it.

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY: Respected Madam, my second question is this.

The Government of India is implementing the NREGA works for the labourers; in that, proper agricultural works are not being given. They are giving all the works in the forests and in the remote areas. It is not useful for the farmers. The States are suffering a lot. As a result of this, we are not getting any farm labourers in the fields. My request is this. You are giving Rs. 350 per each labourer. We are ready to give 50 per cent of that. You please order that these labourers would be utilised only in the farms so that our production will be enhanced; the States' wealth will also go up and the Government will have less problems. We are ready to bear 50 per cent. So, please pass an order that they should participate in the farm works. Will you do it?

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the hon. Member has made a suggestion which is for the Department of Rural Development to consider. I would certainly pass on the suggestion to the Department of Rural Development.

SHRI KONAKALLA NARAYANA RAO : Thank you Madam for giving this opportunity. I associate myself with my colleague Shri J.C. Divakar Reddy. I would like to say that the poor farmers are not getting a profitable price. I would urge upon the Government to properly implement the recommendations of the Swaminathan Committee

as then only the poor farmers will be benefited by the Government-sponsored schemes. There will then not be any need for farm loan waiver. Poor farmers are producing the crops but they are not getting full remunerations for the same and that is why they are committing suicides. I would urge upon the Government of India to help the poor farmers in the purchase of fertilisers and seeds which will be beneficial to them.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, there are crops for which the Central Government does fix the Minimum Support Price and, therefore, the purchases are made accordingly but it is also true that at times when the prices fall below the MSP itself then the farmers are at the receiving end. We are seized of this problem and, therefore, market interventions do take place by the Central and the State Governments from time to time.

As far as the fertiliser is concerned, there is a great amount of subsidy which is being granted for fertilisers. This year the amount almost touches about Rs.70,000 crore, which is being granted as fertiliser subsidy. We are conscious of the fact that the inputs available to the farmers have to be made available at a reasonable price so that the farmers do receive some remunerative consideration eventually out of the produce.

श्री गोपाल शेट्टी : अध्यक्ष जी, रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी और सरकार का यह अधिकार बनता है कि जब कभी किसानों के कर्ज की माफी की घोषणा की है तो चाहे कोई भी सरकार हो, वह लिमिटेड घोषणा ही करती है। आरबीआई गवर्नर की एक बात सही है कि इस प्रकार की घोषणाओं की वजह से बड़े-बड़े किसान भी कर्ज का भुगतान करना बंद कर देते हैं। उनका सुझाव अच्छा है तो भी उनको इस बारे में सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि आरबीआई के गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार की चिट्ठी लिखकर इलेक्ट्रिक बॉडीज़ का अपमान किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले दिनों में मंत्री जी रिज़र्व बैंक के लोगों को एक अच्छी गाइडलाइन या संकेत देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?

श्री अरुण जेटली : मैडम, हर संस्था का अपना मंडेट होता है। आरबीआई का अपना मंडेट है, चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकार का अपना मंडेट होता है। चुने हुए प्रतिनिधियों का यह मंडेट है कि आम आदमी का जो दुख-दर्द और तकलीफ है, विशेष रूप से किसान की जो तकलीफ है, उसकी किसी प्रकार से सुनवाई हो सके और उसकी समस्या का समाधान हो सके। शायद आरबीआई के पूर्व गवर्नर को यह लगता होगा कि फिस्कल डेफिसिट का

अपना महत्व होता है तो उस दृष्टि से एक फिस्कल अनुशासन में टेन रहे, इसलिए वह पत्र लिखा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर तरह के विचार आएंगे, क्योंकि यह एक व्यवस्था बनी हुई है।

SHRIMATI V. SATHYABAMA : Throughout India farmers' income has dropped because of crop loss due to drought, rains and floods. Madam, they do not know how to repay the loans. This is the plight of farmers in India and this needs to be addressed on a war footing note. The Government has fixed a target of Rs. 10,00,000 crore for providing loans to the farmers this year. This should be distributed without any dodging and delay by the bankers. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has received any request from the Government of Tamil Nadu to support farmers who have suffered due to severe drought and crop loss this year.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, this question does not really relate to any particular State. I will check up and will inform the hon. Member accordingly about that information. But, I can only tell the hon. Member that when the credit limit of Rs.10 lakh crore has been fixed this year by the banking system for credit to the farmers, our effort is not only to maintain that, but even to exceed that. It is because the more the credit flow goes to the farmers, the better it is for the farm sector of India.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैडम स्पीकर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि जब देश आजाद हुआ, तब खेती प्रॉफिटेबल धंधा था, आज घाटे का धंधा बन गया है? भले ही कोई कार्यनीति गलत हो, भाव फिक्सेशन की बात हो और नेचुरल केलेमिटी के विचार की बात हो, मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रदेश कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आए हैं, जैसे हरियाणा सरकार भावान्तर भरपाई स्कीम लेकर आयी है। जहाँ आपने एक बार कहा था कि लोक अदालतें स्थापित करके हम वन टाइम सेटलमेंट करके, जैसे आपने देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कही है। क्या आपके द्वारा किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार कोई ऐसी नीति लेकर आ रही है?... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए किसान के साथ वादा कर लिया, फिर सत्ता हासिल करके मुकर गए। पहले कहा कि सारा कर्ज माफ कर देंगे, फिर कहा कि पांच एकड़ का कर देंगे, फिर कहा कि दो एकड़ का माफ कर देंगे। अब हमारे लहरागागा में एक किसान के दो एकड़ हैं, उसका लिस्ट में नाम नहीं आया। सिकंदर सिंह ने खुदकुशी कर ली।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आपका प्रश्न हो गया।

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : बिना पानी के ... (व्यवधान) वाली सरकारों की मदद करने के लिए तो केंद्र सरकार तैयार है, पंजाब जैसी सरकारों को।... (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, विभिन्न राज्य सरकारों के पास जो अपने साधन हैं, उसके अतिरिक्त केंद्र से उनको साधन मिलते हैं। अब तो केंद्र से काफी अधिक मात्रा में साधन मिलते हैं। 14वें फाइनेंस कमिशन के बाद और 15वें फाइनेंस कमिशन ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस प्रकार की जितनी भी सहूलियतें या रियायतें देनी हैं, केंद्र अपने बजट में से देती है। जैसा मैंने पहले कहा कि इस साल 2 लाख 92 हजार करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट में से केवल इसी सेक्टर के ऊपर खर्च कर रहे हैं उस प्रकार से राज्य सरकारों को भी अपने बजट की सीमाओं में खर्चा करना पड़ेगा कि उनकी सीमाएं कितनी है और वे कितना एफोर्ड कर सकती हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, मैं कृषि क्षेत्र से आता हूं। सिर्फ हमारा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरा सीमांचल, उत्तर बंगाल ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरा हिन्दुस्तान आता है।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आधारभूत सवाल यह है कि किसान कर्जदार क्यों हो रहे हैं? हम कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप यदि उसके बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज को सही नहीं करेंगे। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। आपने भी कहा, तो कर्जदार होंगे। आपने प्रश्न (ग) के उत्तर में कहा कि बैंकिंग सिस्टम में यह बंदोबस्त है कि जब नेचुरल कैलेमिटिज़ होती है, प्राकृतिक आपदा होती है तो यह इतने प्रतिशत है और इतना होगा, लेकिन अभी हमारे पूरे सीमांचल, असम और उत्तर बंगाल में बाढ़ आयी। कृषि में ऐसा है कि चार महीने के अंदर अगर उनको पैसा नहीं मिलता है तो किसान नयी फसल कैसे करेंगे। आप स्पेसिफिक रूप से कहिए कि इस प्राकृतिक आपदा के दौरान आपने बैंक्स को क्या हिदायत दी थी कि अब नए से किसान कर्जदार नहीं हों। उनका रिस्ट्रक्चरिंग कितना हुआ, किस बैंक ने कितना किया और किसानों को फिर से उपज के लिए जो बुनियादी जरूरत थी उसे पूरा करने के लिए उन्हें कितना ऋण मिला? यह मेरा स्पेसिफिक सवाल है, वरना आपके उत्तर (ए) में सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर,

नाबार्ड और सिडबी की बात कह रही है। आप उत्तर प्रदेश में यह कहकर चुनाव जीते कि हम कर्ज माफी कर देंगे। अभी आपको ... *

माननीय अध्यक्ष : ऐसे शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग शब्दों को ठीक यूज़ किया कीजिए।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, जहां तक बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा का प्रश्न है, दुर्भाग्यवश किसी वजह से ये आती हैं, चाहे बंगाल में हो या किसी अन्य राज्य में हो, तो उसकी बहुत ही ऑब्जेक्टिव और लिबरल गाइडलाइन्स बनी हैं। पिछले तीन सालों के अंदर उनको और लिबरलाइज़ किया गया है। अगर 33 प्रतिशत क्रॉप लोन होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उसके गणित के अंदर आ जाता है। इसलिए जब राज्य अपनी डिमाण्ड भेजते हैं तो उस डिमाण्ड को केंद्र कंसीडर करता है। राज्यों के पास भी उसका प्रावधान है। अब तो एकदम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फण्ड का है। उसकी बहुत सख्त गाइडलाइन्स हैं जिसके तहत ऑब्जेक्टिवली उस राज्य की असिस्टेंस होती है और पूर्ण रूप से उसी हिसाब से बंगाल की असिस्टेंस की जाएगी।

* Not recorded

(Q. 263)

कुँवर हरिवंश सिंह : अध्यक्ष महोदया, विश्व बैंक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से देश में कई परियोजनाएं चल रही हैं। पूर्व में नियमित अंतराल पर इन परियोजनाओं में घोर वित्तीय अनियमितताओं की खबरें आती रहती थीं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विश्व बैंक द्वारा संकल्प परियोजना के लिए जारी होने वाले ऋण में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए किस प्रकार का मानीटरिंग तंत्र विकसित किया गया है, ताकि संकल्प परियोजना समय पर पूर्ण हो सके।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, कौशल विकास के लिए जो संकल्प की योजना है, उसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो संस्था है, जिससे साधन मिलना है, अभी तो उसकी पहली किस्त भी नहीं आई है। 675 मिलियन का साधन है, जिसमें जो उसकी पूरी लागत है, उसका पांच सौ मिलियन वर्ल्ड बैंक ग्रुप से मिलना है। वह दो किस्तों में मिलना है, अभी पहली किस्त नहीं आई है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकारी तंत्र के तहत प्रयास होगा कि इसमें कोई अनियमितता न आए। हमको यह अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए कि इसमें अनियमितता आएगी तो क्या होगा। अभी इसकी कार्रवाई शुरू होनी है।

कुँवर हरिवंश सिंह : महोदया, आदरणीय प्रधान मंत्री जी एवं देश के विद्वान वित्त मंत्री, माननीय श्री अरुण जेटली के कुशल नेतृत्व में देश ने कई आर्थिक मोर्चों पर फतह हासिल की है। तीन साल पहले विरासत में मिली खस्ता हाल अर्थव्यवस्था में आदरणीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने जान फूंकने का कार्य किया है। विश्व बैंक के निकाय गवर्निंग बॉडी में भारत की भूमिका को पूरे विश्व ने स्वीकारा है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विश्व बैंक की गवर्निंग बॉडी में अपना अंशदान पुनः बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका एवं छवि में और अधिक वृद्धि हो सके।

श्री अरुण जेटली : महोदया, विश्व बैंक के संबंध में विश्व बैंक की अपनी अपेक्षा भी यह है कि वह बेहतर और बड़ा बैंक बन सके। It must become a better and a bigger bank. जो वर्ल्ड बैंक की यह उम्मीद और अपेक्षा है, भारत हमेशा उसके समर्थन में रहा है। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, जो उससे सहमत नहीं होते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक विवाद चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी कैपिटल बढ़ाई जाए, यह तय होता है कि भारत के हिस्से में जितना अंश देना होगा, भारत हमेशा उसकी पूर्ति करता रहा है। क्योंकि यह पैसा जब विश्व बैंक में जाता है तो उसके माध्यम से जो हमारी परियोजनाएं होती हैं या अन्य देशों की परियोजनाएं होती हैं, उनकी सहायता के लिए वह मिलता है।

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश बदल रहा है, उसके स्वरूप में संकल्प एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के माध्यम से एक परिणामोन्मुखी परियोजना है। इसके माध्यम से स्किल्ड भारत बनाने के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रयास है। यह जो ऋण होगा, इसकी आदायगी 18 वर्षों में होगी और यह परिणाम मापने के लिए इसमें संकेतक भी तय हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि इसका प्रमुख उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है, इसलिए इसमें एस.सी. और एस.टी., दिव्यांग और अल्पसंख्यक भाइयों को भी जोड़ा गया है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत अपने जन्मकाल से ही जातिगत व्यवस्थाओं से बंधा था और जातियां अपने आपमें कौशल से परिपूर्ण रहती थीं, इसीलिए भारत रोजगार जन्म से ही प्राप्त करता था। वंचित वर्गों को जोड़ते वक्त उन तमाम जातियों को, जो अपने जीवन के प्रारम्भ से कौशल से जुड़ी हुई हैं, क्या उन जातियों को भी इसमें जोड़ते हुए किसी बड़ी योजना पर काम होगा?

दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से संचालित कौशल विकास केन्द्रित परियोजनाओं में मध्य प्रदेश का नाम सम्मिलित नहीं है। क्या मध्य प्रदेश सहित मेरे संसदीय क्षेत्र को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, कौशल विकास के पीछे पूरा उद्देश्य यही है कि शैक्षणिक संस्थाओं में जो केवल औपचारिक शिक्षा मिलती है, उसके माध्यम से हम किसी रोजगार के लिए तैयार हो जाएं, यह अपने आपमें पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार की अलग-अलग योजनाएं चलती हैं, संकल्प चलता है, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना चलती है, स्ट्राइव चलता है, नेशनल एप्रेंटिसशिप मिशन चलता है, ताकि इनके माध्यम से जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, कौशल देने का अभ्यास डालने का जो प्रयास है, वह हमारे लोगों को मिले।

इसमें हर वर्ग को, चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, महिलाओं को, इन वर्गों को विशेष रूप से इस प्रकार का कौशल मिले, इसका एक प्रयास रहता है। जितने भी राज्य देश के अन्दर हैं और मध्य प्रदेश निश्चित रूप से बहुत बड़ा राज्य होने की वजह से उसमें पूर्ण रूप से शामिल होगा।

श्री गौरव गोगोई : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, स्किल डेवलपमेंट का डायरेक्ट सम्पर्क रोजगार के साथ है और जिन लोगों को सपना दिखाया था दो करोड़ नौकरियों का, आज उनको प्रतिवर्ष डेढ़ लाख मिल रहा है। इसका साफ-साफ सम्पर्क है कि कौशल विकास पर जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार के खुद के कौशल विकास के जो टारगेट थे, आज उस टारगेट से वह पीछे हट गई है। मैं केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि संकल्प के

द्वारा आप इंडस्ट्रीज, जो इन्डियन इंडस्ट्रीज हैं, खासकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, जहाँ पर सबसे ज्यादा रोजगार बनते हैं, उन इंडस्ट्रीज के साथ किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट की प्रक्रिया चला रहे हैं। आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किस प्रकार से कर रहे हैं, खासकर उत्तर पूर्वांचल में, जहाँ पर इंडस्ट्रियल पेनिट्रेशन काफी सीमित है, वहाँ पर आप किस प्रकार वहाँ की इंडस्ट्रीज को लेकर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करेंगे। धन्यवाद।

श्री अरुण जेटली : महोदया, कौशल विकास विभाग केन्द्रीय रूप से इसका संचालन करता है, वित्त मंत्रालय नहीं करता है, क्योंकि प्रश्न मूलतः फाइनेन्शियल ग्रांट वर्ल्ड बैंक से था, तो इसलिए वित्त मंत्रालय के सामने यह आया है। यह सभी जानते हैं कि ये जितनी योजनाएं हैं, ये योजनाएं इन्डिपेन्डेंटली स्किल डेवलपमेंट सेन्टर्स और औद्योगिक सेन्टर के केन्द्रों के साथ भी अपने आपमें जुड़ी हुई हैं। इसका उद्देश्य यह रहता है, जैसे अप्रेंटिसशिप मिशन है, उसका प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों के साथ सम्बन्ध रहता है। वे उद्योग भी उन लोगों को अप्रेंटिस के रूप में ट्रेनिंग देते हैं, ताकि लोग होनहार होकर उस प्रकार के उद्योगों के अन्दर काम करने में सक्षम हो जाएं। इसलिए इस प्रकार के रोजगारों के प्रति उनमें स्किल्स आ जाएं और ऐसी स्किल्स के बहुत अधिक मात्रा में रोजगार हैं, जिनका उद्योग में भी काम होता है और जो सेल्फ एम्प्लॉइमेंट के लिए भी लोगों को तैयार करते हैं। इस पूरे मिशन का और इसकी जितनी योजनाएं हैं, इसमें संकल्प है, स्ट्राइव है, अप्रेंटिसशिप मिशन है, इन सबका उद्देश्य उस दिशा में है।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।

(Q.264)

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : महोदया, सरकार का यह संकल्पित प्रयास है कि निजी कम्पनियों द्वारा लोगों के धन की उगाही करके और उसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी करने के प्रयास को रोका जाए। गरीब लोगों का या आम आदमी का जो पैसा होता है, उसको बचाया जाए। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो कम्पनियाँ इस प्रकार का काम करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनकी धन वापसी के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर घूमते रहते हैं। इस दिशा में मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि एक पल्स ग्रुप हुआ करता था। उस ग्रुप ने लाखों लोगों से पैसा उगाया, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया। बाद में उसका सेबी के साथ इस बात पर विवाद हुआ कि यह किस प्रकार की कम्पनी है। फैसला यह हुआ कि यह सीआईएस प्रकार की कम्पनी है और इसलिए उसका काम बन्द करा दिया गया। जब उसका काम बन्द करा दिया गया तो मामला कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह कहा कि सेबी ठीक है और इस कम्पनी को बन्द किया जाए। इसकी सारी सम्पत्ति को उसने सीज कर लिया। जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता में सेबी को यह निर्देश दिया कि आप इसके निवेशकों को सारा का सारा पैसा वापस करायें। इसे लगभग दो साल होने को आ रहे हैं, 02-02-2016 को यह आदेश हुआ था। सेबी ने दो साल के भीतर मात्र कुछ सौ करोड़ रुपया ही इकट्ठा किया है। कम्पनी के पास सम्पत्तियाँ हैं, सीबीआई भी कह चुकी है कि इस कम्पनी के पास अटूट पैसा है और निवेशकों को पैसा वापस किया जा सकता है।

महोदया, दो साल में इतनी कम राशि इकट्ठी हुई है कि निवेशकों को कुछ नहीं मिल रहा है और वे बेचारे घूमते फिर रहे हैं। पिछले दिनों सागर में मेरे घर कम से कम एक-डेढ़ हजार लोग आ गए थे और वे कह रहे थे कि साहब, हमारा पैसा इससे वापस दिलवाइए, सेबी कुछ काम कर ही नहीं रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि क्या वे सेबी को इस बात के लिए कम्पेल करेंगे कि वह इस काम में शीघ्रता लाए ताकि गरीब लोगों का पैसा वापस किया जा सके।

श्री पी.पी.चौधरी : महोदया, माननीय सदस्य ने दो सवालों को क्लब किया है। ये प्रश्न प्राइवेट कंपनियों के सम्बन्ध में हैं। लेकिन, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने पब्लिक कंपनियों के जो इश्यूज उठाए हैं, उसके लिए सेक्शन-73 कहता है कि उसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां, दोनों डिपॉजिट ले सकती हैं। प्राइवेट कंपनियां जो डिपॉजिट ले सकती हैं, वे सिर्फ अपने डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स से ले सकती हैं। वे अपने मेम्बर्स से भी ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए लिमिटेशंस हैं। जहां तक पब्लिक कंपनी का सवाल है, जिस हिसाब से माननीय सदस्य ने

पब्लिक कंपनी के बारे में बताया कि इस कंपनी ने इस तरह की डिपॉज़िट्स ली हैं, उसके लिए इसके एक्ट के सेक्शन-74 में प्रावधान है। यह उन मामलों को कवर करता है, जो दिनांक 01.04.2014 के पहले के हों। दिनांक 01.04.2014 के बाद के केसेज को सेक्शन-76(ए) डील करता है। जहां तक उसके लिए प्रावधान का मामला है तो उसमें बहुत ही स्ट्रिन्जेंट पनिशमेंट है। जहां तक सेक्शन-74(1) की बात है तो ज्यों ही वह आएगा, तुरन्त ही उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है और एन.सी.एल.टी. के पास जाने के बाद अगर वे उसे री-पे नहीं करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो उसका फाइन मिनिमम एक करोड़ रुपये है। वह फाइन दस करोड़ रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है। अगर उसके बाद भी वह डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है, जो सात वर्षों का है, या मिनिमम 25 लाख रुपये का फाइन है और ज्यादा से ज्यादा फाइन दो करोड़ रुपये तक हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। लेकिन, अगर यह केस बाद का है तो उसके लिए भी सेक्शन-76(ए) में प्रावधान है।

माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया है कि वे किस कोर्ट में गए हैं। इस हिसाब से एन.सी.एल.टी. में प्रावधान है। उसके बाद पनिशमेंट के लिए जो प्रावधान हैं, वे ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट में हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि सेबी (एस.ई.बी.आई.) के पास जो सम्पत्ति अर्जित है, क्या उस सम्पत्ति को बेच कर निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाएगा?

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, माननीय सदस्य ने एक पंजाब-बेस्ड कंपनी के बारे में जो पूछा है, उस कंपनी के संबंध में मैं इतना बता दूँ कि सेबी अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जैसा माननीय सदस्य को मालूम होगा। सेबी के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी उसको सुपरवाइज करने की दृष्टि से लगा दिया है, ताकि उस कंपनी के जितने भी डिपॉज़िटर्स थे, उनकी लिस्ट तैयार हो जाए, डिपॉज़िटर्स ने कितना पैसा दिया हुआ है, उसकी भी लिस्ट तैयार हो जाए और उसके साथ-साथ उस कंपनी के एसेट्स भी तैयार हो जाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की देखरेख में सेबी, सारे एसेट्स को कलेक्ट करना, उन एसेट्स को फिर बाज़ार में बेचना और फिर डिपॉज़िटर्स को उनका पैसा 'प्रो-रेटा' के आधार पर वापस करना, इस कार्रवाई में लगी है।

यह सही है कि बहुत अधिक संख्या में, एक प्रकार से लाखों की संख्या में देश भर में लोग हैं, जिनका पैसा उस कंपनी ने एक प्रकार से मारा है। प्रयास यह हो रहा है कि उसके सारे एसेट्स को रिकवर करके उन डिपॉज़िटर्स को जितने अधिक-से-अधिक साधन वापस किए जा सकते हैं, उन एसेट्स में से वे वापस किए जाएं।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सेबी बहुत स्लो काम कर रहा है। अभी दो सालों में कुछ सौ करोड़ रूपया ही इकट्ठा किया जा सका है। अगर इसी रफ़्तार से काम चलता रहा तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 60-70 सालों में यह सारा-का-सारा काम हो जाएगा।

मैं यह चाहता हूँ कि आप कृपया सेबी को इस बात के लिए कम्पेल करें, उससे यह कहें कि वह अपने काम में तीव्रता लाए, ताकि जो लोग इसके लिए दस-दर घूम रहे हैं, उन्हें उनके पैसे मिल सकें।

श्री पी.पी.चौधरी : महोदया, माननीय सदस्य का यह सवाल प्राइवेट कंपनी से संबंधित है। जहां तक सेबी का सवाल है, वह वित्त मंत्रालय के तहत है। इस सवाल का संबंध हमारे मंत्रालय से नहीं है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदया, देश में गरीब किसान-मज़दूरों के पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे को दुगुना करने का लालच देकर कई चिटफंड कंपनियां उनके पैसे को हथिया कर चलती बनती हैं। ऐसे कपटपूर्ण व धोखाधड़ी करने वाली कई कंपनियों के कारनामों के बारे में हर दूसरे-तीसरे महीने जानकारी मिलती रहती है। जब ये कंपनियाँ अपने प्रचार-प्रसार का काम करती हैं तो पुलिस एवं जिलाधिकारी को सब कुछ पता होता है। मेरे गृह राज्य झारखंड में एक भी चिटफंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है; परंतु उसके नाम पर कई कंपनियाँ जैसे संजीवनी, बिल्डकॉन आदि झारखंड के लोगों का पैसा लेकर गायब हैं। अभी भी कई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ऐसी हैं, जो लेनदारों को पैसा नहीं दे रही हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। जो कंपनियाँ अनुचित लाभ कमाने के लिए काम कर रही हैं, उनको पहचान कर रद्द भी किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने जो 24 कंपनियाँ चिन्हित की हैं और जिसमें सरकार का उत्तर है कि कंपनी के अधिनियम 1956 के प्रावधान 2013 के अधीन 15 मामलों में शामिल चार कंपनियों के विरुद्ध दायर किया गया है तथा यह न्यायालय के विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूँ कि अन्य मामलों में जो कंपनियाँ हैं, उनकी जाँच कब तक पूरी होगी? भविष्य में इस तरह का कार्य न हो, इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। आप छोटे-छोटे चोरी के केस में लोगों को जेल भेजते हैं और जो लोग करोड़ों रुपये की ठगी करते हैं, उनके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। यह बहुत ही दुखद बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री पी.पी.चौधरी : महोदया, माननीय सदस्य ने टाइम लिमिट के बारे में कहा है, इसकी शीघ्र ही जाँच पूरी करायी जाएगी। जहाँ तक प्रावधान का मामला है, उन्होंने यह नहीं बताया है कि वह प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है; लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि जहाँ तक सेक्शन 73 में पब्लिक तथा प्राइवेट कंपनी दोनों डिपॉजिट्स ले सकती हैं, लेकिन सेक्शन 76 के तहत सिर्फ पब्लिक कंपनी ही डिपॉजिट्स ले सकती है। अगर किसी तरह का सेक्शन 73 एवं सेक्शन 76 का कॉन्ट्रावेन्शन हो तो उसमें आपने कहा कि 2013 के एक्ट में पनिशमेन्ट का प्रावधान है। अगर कोई एग्रीड है तो वह एन.सी.एल.टी. के पास जा सकता है और उसके बाद पनिशमेन्ट के लिए रेग्युलर कोर्ट के पास भी जा सकता है। इसमें कंपलीट पनिशमेन्ट का प्रावधान रखा गया है।

SHRI ADHALARAO PATIL SHIVAJIRAO: Thank you Madam Speaker. The hon. Minister has stated in his reply that private companies are permitted to accept deposits from its directors, and family members. However, most of these companies who indulge in fraud in these kinds of deposit cases, accept money from the public also.

I would like to know from the hon. Minister whether there is any machinery or any system to monitor whether private companies that are accepting the deposits are taking money only from the relatives and family members. I would also like to know whether there is any machinery to monitor the amount of interest that is being charged. If the interest rates are exorbitant, then the chances of getting back the money is very less. At the same time, if the interest rates are very low, then also there is a problem of getting back the money.

So, is there any Government system or machinery or mechanism to monitor that deposits are accepted within the interest limits and also to see that the deposits are accepted only from the family members and directors.

The name of a Company, that is Kapil Group of Companies has been mentioned here. This Company has accepted money from the public in general. Their membership is in thousands and the Company has cheated them. The prime motive of this Company was accepting the money, using the money and committing the fraud.

I want to know from the hon. Minister whether he has any mechanism and strict monitoring system so that these things do not happen in future.

श्री पी.पी.चौधरी : महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया और जो मनी एक्सेप्ट करने की बात है, वह प्राइवेट कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर एवं डायरेक्टर के रिलेटिव से एक्सेप्ट कर सकती है और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर मेम्बर से एक्सेप्ट करती है तो उसके लिए लिमिट है तथा एक्ट में उस लिमिट के बारे में साफ लिखा हुआ है कि उसकी पेड ऑफ कैपिटल प्लस उसके रिजर्व के बराबर हंड्रेड पर्सेंट तक ही एक्सेप्ट कर सकती है। उसके अलावा वे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। अगर इसमें किसी तरह का कांटावेंशन करती हैं, कानून के सैक्शन 73 और 76 में प्रावधान दिए गए हैं, अगर उसका कांटावेंशन करती

हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सैक्शन 76 (ए) में प्रोवाइडेड है। अभी मैंने आपको बताया था कि वे फाइन वगैरह हैं और अगर वे फाइन पे नहीं करते हैं, तो उसके डिफॉल्ट में उसमें इंप्रिजनमेंट का भी प्रावधान है।

PROF. SAUGATA ROY : Madam Speaker, the Minister is hiding behind technicalities in dealing with this question. He has divided it into two parts. He said SEBI is under the Finance Ministry and private companies are being looked after by the Ministry of Corporate Affairs. But the fact is that these chit fund companies, non-banking financial companies and private companies accepting deposits have become the bane of the economy. They have cheated hundreds and thousands of people. They are all very poor. The Government has its regulators like RBI, SEBI and then there is SFIO which is under the Ministry of Corporate Affairs. As the Member who has asked the main question mentioned, they have not taken any steps to really return the money to the poor depositors.

May I know from the hon. Minister as to whether he would go beyond the brief of Sections 73 and 76 of the Companies Act and take effective steps to return the money to the poor depositors who have been cheated either by NBFCs or by chit fund companies or by private companies taking deposits or public companies taking deposits? The Standing Committee on Finance gave a detailed Report on this which has not been acted upon. I would urge upon the Finance Minister to deal with this question in its entirety.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam Speaker, the hon. Member is right that there are provisions in different legislations. Now in the Companies Act, which my colleague was dealing with, there is a distinction between private companies and public companies and if the investigations are under the Companies Act, then you have the machinery under the Companies Act, which includes the RoC as well as the SFIO. But what the hon. Member is referring to is not about those deposits accepted by private companies as the Minister of State was referring to. These are Collective Investment Schemes through which these companies start accepting money from hundreds and thousands of depositors either by way of deposits or by way of chit funds etc. These Collective Investment Schemes are

looked into by SEBI and it has an effective mechanism in place, which includes recovery of all the assets of these companies and then making sure that the depositors themselves are paid back. In some cases, where the assets have been contrived in a complicated way, SEBI also faces different challenges and courts have also intervened.

Similarly, there are State legislations which are dealing with chit funds and now because of inter-State character of some of these chit fund companies, there is a Central legislation which is in the offing because the State Legislatures will have a geographical territory which is defined in its jurisdiction and they are effectively dealing with it.

Therefore, we have put in and are in the process of putting in an effective mechanism in place to that effect.

PROF. SAUGATA ROY : But this is continuously going on. ... (*Interruptions*) Millions of people are being duped everyday. The Government has not been effective in stopping this.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, within the legislative framework, the Government is taking all steps within its powers to deal with these cases.

श्री अधीर रंजन चौधरी : वित्त मंत्री जी आपको शायद यह जानकारी होगी कि चिट फंड के लिए बंगाल एक पैराडाइज बन चुका है। Bengal has been turned into a paradise of chit funds. Hundreds of chit fund companies have been thriving in the soil of Bengal and under the full glare of all the Government officials and even the Government itself.

HON. SPEAKER: Please ask the question.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: A number of prominent personalities in West Bengal have also been implicated in those cases. यहां तो बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं कि यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, फलां करना चाहिए, लेकिन लाखों की तादाद में लोग बंगाल में सब कुछ खो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

12.00 hrs

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदया, बहुत सारे लोगों ने खुदखुशी की है, उनका पैसा वापस नहीं आया है। आप उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? यहां केवल कानूनी बात करने से नहीं होगा, 73,74 हमारा डोमेन एक्सपीरिअंस नहीं है। हम आम जनता की नुमाइंदगी करते हैं। आम लोग खुदकुशी कर रहे हैं। उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, इसे खुलकर बताना चाहिए?

माननीय अध्यक्ष : इसमें चिल्लाने की क्या बात है?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, इसके दो स्वरूप हैं, जिन लोगों ने ये कार्यवाही की है, माननीय सदस्य को मालूम है जिन लोगों ने जुल्म किया है, अपराध किया है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। वह बंगाल से सांसद हैं, इसलिए उनकी जानकारी में सभी के नाम भी हैं। जहां तक पैसे वापसी की बात है। ..(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसमें कार्रवाई बहुत धीमी है।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, कोई धीमी कार्रवाई नहीं है, जो एनबीएफसी हैं, बंगाल के संदर्भ में मैंने पिछले प्रश्न में कहा, यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके संबंध में वह अपना रेग्युलेशन बनाता है। उस रेग्युलेशन के तहत जो कार्रवाई वसूली की हो सकती है, जहां से जितनी-जितनी वसूली हो सकती है, जिन संस्थाओं को यह अधिकार है, वह इसके लिए प्रयास कर रही हैं।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

Item no. 2 – Shri Jagat Prakash Nadda.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the years 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the years 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the years 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8411/16/18]

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year 2016-2017:-

- (i) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi
- (ii) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
- (iii) All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh
- (iv) All India Institute of Medical Sciences, Patna

- (v) All India Institute of Medical Sciences, Mysore
- (vi) International Institute of Population Sciences, Mumbai
- (vii) Population Research Centre, Delhi
- (viii) Population Research Centre, Bengaluru
- (ix) Population Research Centre, Chandigarh
- (x) Population Research Centre (CRR&ID), Chandigarh
- (xi) Population Research Centre, Gandhi Gram
- (xii) Population Research Centre, Lucknow
- (xiii) Population Research Centre, Thiruvanthapuram
- (xiv) Population Research Centre, Udaipur
- (xv) Population Research Centre, Bhubneshwar
- (xvi) Population Research Centre, Srinagar
- (xvii) Population Research Centre, Vishakhapatnam
- (xviii) Indian Council of Medical Research, New Delhi

[Placed in Library, See No. LT 8412/16/18]

- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8413/16/18]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8414/16/18]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8415/16/18]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8416/16/18]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, श्री जुएल ओराम की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8417/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, Noida, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, Noida, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8418/16/18]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8419/16/18]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a)
 - (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8420/16/18]

- (b)
 - (i) A copy of the Review by the Government of the working of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8421/16/18]

- (c)
 - (i) Review by the Government of the working of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.

- (ii) Annual Report of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8422/16/18]

- (d)
 - (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2016-2017 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8423/16/18]

- (e)
 - (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat PetroResources Limited, Mumbai, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Bharat PetroResources Limited, Mumbai, for the year 2016-2017 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8424/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:-

- (i) S.O.2488(E) published in Gazette of India dated 4th August, 2017 making certain amendments in Notification No. S.O.753(E) dated 6th March, 2017.
- (ii) S.O.3282(E) published in Gazette of India dated 10th October, 2017 making certain amendments in Notification No. S.O.753(E) dated 6th March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8425/16/18]

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 61क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (1) कोयला खदान विनियम, 2017 जो 27 नवम्बर, 2017 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1449(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (2) तेल खदान विनियम, 2017 जो 18 अगस्त, 2017 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1029(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 8426/16/18]

(2) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8427/16/18]

- (3) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8428/16/18]

- (5) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय प्राधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 949(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8429/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8430/16/18]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8431/16/18]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2016-2017.
- (ii) Annual Report of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8432/16/18]

- (4)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8433/16/18]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Unani Medicine, Begaluru, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Unani Medicine, Begaluru, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8434/16/18]

(6) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year 2016-2017:-

- (i) Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi.
- (ii) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi.
- (iii) Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi.
- (iv) Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar
- (v) National Academy of Ayurveda, New Delhi.
- (vi) Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi.
- (vii) National Institute of Naturopathy, Pune.
- (ix) National Institute of Homoeopathy, Kolkata.
- (x) Central Council for Research in Siddha, Chennai.

[Placed in Library, See No. LT 8435/16/18]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8436/16/18]

(2) (एक) इंस्टीट्यूट आफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8437/16/18]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)x

- (एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2017, जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1000(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2017, जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1001(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2017, जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1002(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन नियम, 2017, जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2017, जो 18 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1035(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2017, जो 18 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1036(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2017, जो 8 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1140(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2017, जो 8 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1141(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2017, जो 10 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1381(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2017, जो 10 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1382(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 17 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1428(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2017, जो 17 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1429(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2017, जो 27 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1451(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय वन सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2017, जो 27 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1452(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8438/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MIISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8439/16/18]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the West Zone Cultural Centre, Udaipur, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the West Zone Cultural Centre, Udaipur, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8440/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8441/16/18]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sangeet Natak Akademi, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sangeet Natak Akademi, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8442/16/18]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Science Museums, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Science Museums, Kolkata, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8443/16/18]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sahitya Akademi, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sahitya Akademi, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8444/16/18]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) (एक) खादी और ग्राम उद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) खादी और ग्राम उद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) खादी और ग्राम उद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8445/16/18]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- ((एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

- (दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8446/16/18]

- (3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8447/16/18]

(4) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फार द डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फार द डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8448/16/18]

(5) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8449/16/18]

(6) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8450/16/18]

(7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8451/16/18]

(8) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेस एंड फलेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेस एंड फलेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8452/16/18]

(9) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8453/16/18]

(10) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8454/16/18]

(11) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8455/16/18]

(12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8456/16/18]

(13) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8457/16/18]

(14) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8458/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 97 of the Punjab Re-organization Act, 1966:-

- (1) The Bhakra Beas Management Board (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.503(E) in Gazette of India dated 24th May, 2017.
- (2) The Bhakra Beas Management Board (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1159(E) in Gazette of India dated 15th September, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8459/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Coinage Act, 2011:-

- (i) The Coinage (Issue of Commemorative coins on the occasion of 150th Birth Anniversary of Shrimad Rajchandra) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.641(E) in Gazette of India dated 24th June, 2017.
- (ii) The Coinage of One Thousand Rupees and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of Shree Jagannath Nabakalebara Festival 2015 Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.829(E) in Gazette of India dated 5th July, 2017.
- (iii) The Coinage (Issue of Commemorative coins on the occasion of Birth Anniversary of Dr. M. S. Subbulakshmi) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1146(E) in Gazette of India dated 11th September, 2017.

- (iv) The Coinage of One Thousand Rupees and Five Rupees coins to commemorate the occasion of Dr. M. G. Ramachandran Birth Centenary Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1147(E) in Gazette of India dated 11th September, 2017.
- (v) The Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.516(E) in Gazette of India dated 25th May, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8460/16/18]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं आयुध अधिनियम, 1959 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) आयुध (संशोधन) नियम, 2017 जो 27 अक्टूबर, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1342 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) आयुध (संशोधन) नियम, 2017 जो 28 नवम्बर, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1468 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8461/16/18]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) (एक) एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8462/16/18]

- (2) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत माल और सेवा कर निधियों का समाधान नियम, 2017 जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 964(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8463/16/18]

(3) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) सा.का.नि. 616(अ) जो 21 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 1,2,3,4,5,17,21 और धारा 22 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में 22 जून, 2017 को नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 701(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 6 से 16, 18 से 20 और 23 से 26 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में 1 जुलाई, 2017 को नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 741(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रजिस्ट्रीकरण, कर का संदाय विवणियों का प्रस्तुत किया जाना, संगणना तथा एकीकृत कर और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल को सुकर बनाये जाने हेतु www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम, 2017 जो 30 जून 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (चंडीगढ़) नियम, 2017 जो 30 जून 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 743(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (दादरा और नागर हवेली) नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 744(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (दमण और दीव) नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 745(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (लक्षद्वीप) नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 746(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 747(अ) जो 30 जून 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 में यथाविनिर्दिष्ट धारा 21 के प्रयोजनार्थ ब्याज की वार्षिक दर नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 748(अ) जो 30 जून 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम, 2017 में पारिभाषिक शब्दावली कोड की हारमोनाइज्ड प्रणाली के अंकों की संख्या अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 749(अ) जो 30 जून 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (चंडीगढ़) नियम, 2017 में पारिभाषिक शब्दावली कोड की हारमोनाइज्ड प्रणाली के अंकों की संख्या अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 750(अ) जो 30 जून 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (दादरा और नागर हवेली) नियम, 2017 में पारिभाषिक शब्दावली कोड की हारमोनाइज्ड प्रणाली के अंकों की संख्या अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 751(अ) जो 30 जून 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (दमन और दीव) नियम, 2017 में पारिभाषिक शब्दावली कोड की हारमोनाइज्ड प्रणाली के अंकों की संख्या अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 752(अ) जो 30 जून 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (लक्षद्वीप) नियम, 2017 में पारिभाषिक शब्दावली कोड की हारमोनाइज्ड प्रणाली के अंकों की संख्या अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8464/16/18]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 1155(अ) जो 11 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 मई, 2012 की अधिसूचना सं. 40/2012- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) शुल्क का उद्ग्रहण (सीमा शुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम, 2017 जो 11 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1156(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 352(अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 78/2014- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 453(अ) जो 11 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. 142/2016- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) पोत परिवहन पत्र तथा निर्यात पत्र (प्ररूप) विनियम, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 729(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) पोत परिवहन पत्र (इलैक्ट्रॉनिक घोषणा) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 730(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 2057(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 93/2016-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 804(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. 12/97-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) प्रवेश पत्र (प्ररूप) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 810(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) कुरियर आयात और निर्यात (निकासी) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 811(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) कुरियर आयात और निर्यात (इलैक्ट्रॉनिक घोषणा और संसाधन) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 2671(अ) जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. 83/2012-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 1064(अ) जो 24 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 77/2014-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 1136(अ) जो 7 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा लेखा परीक्षा के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों की अधिकारिता परिभाषित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 1154(अ) जो 14 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 82/2017-सी.शु. (एन.टी.) तथा 7 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 85/2017-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 1210(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों की अधिकारिता परिभाषित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 1348(अ) जो 27 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 1347(अ) जो 27 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिल्ली के कापसहेड़ा में एयर फ्रेइट स्टेशन नियुक्त किया गया है तथा 28 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1465(अ) में उसका एक शुद्धिपत्र प्रकाशित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 1272(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 1450(अ) जो 27 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 56/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8465/16/18]

(5) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8466/16/18]

(6) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा आउटसोर्सिंग गतिविधियां) विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआरडीएआई/रेग/5/142/2017 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8467/16/18]

(7) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अंतर्गत आंध्रा बैंक (कर्मचारी पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 4 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 666/3/पी/38 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8468/16/18]

(8) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 11 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजी/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 10 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/ 12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8469/16/18]

(9) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 1528(अ) जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 दायर करने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1529(अ) जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-5 दायर करने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 1530(अ) जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-5क दायर करने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय माल और सेवा कर (13वां संशोधन) नियम, 2017 जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1530(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 1328(अ) जो 24 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 21 में उल्लिखित विषयों के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं का स्वतः ही विस्तार किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8470/16/18]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (प्रादेशिक समितियों की स्थापना, स्थिति और क्षेत्राधिकार) विनियम, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ.एस. 9-21/2016/एनसीटीसी/स्थापना में प्रकाशित हुई थी।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2017 जो 29 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ.एस.-51-1/2015/एनसीटीसी(एनएंडएस) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (प्रादेशिक समितियों की स्थापना, स्थिति और क्षेत्राधिकार) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ.एस. एनसीटीसी-स्थापना 18/14/ 2017-स्थापना अनुभाग-मुख्या. में प्रकाशित हुई थी।

(चार) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ.एस. 51-1/2015/एनसीटीसी(एनएंडएस) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 8483/16/18]

(2) (एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कावास्ती के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कावास्ती के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8484/16/18]

(4) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8485/16/18]

(6) (एक) सर्व शिक्षण अभियान समिति कर्नाटक, बंगलुरु के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षण अभियान समिति कर्नाटक, बंगलुरु के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8486/16/18]

(8) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8487/16/18]

(10) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8488/16/18]

(12) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8489/16/18]

(14) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, पंजाब, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, पंजाब, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8490/16/18]

(16) (एक) तमिलनाडु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8491/16/18]

(17) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8492/16/18]

(18) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 8493/16/18]

(19) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8494/16/18]

(21) (एक) एक्सम सर्वा शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सम सर्वा शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8495/16/18]

(22) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गोवा, अल्तोपोर्वोरिम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, अल्तोपोर्वोरिम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8496/16/18]

(24) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, अल्तोपोर्वोरिम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, अल्तोपोर्वोरिम के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8497/16/18]

(26) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेन्टरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेन्टरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8498/16/18]

(27) (एक) उजाला सोसाइटी, जम्मू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसाइटी, जम्मू के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8499/16/18]

(29) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8500/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER
DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM
MEGHWAL): On behalf of Shri Kiren Rijiju, I beg to lay on the Table a copy each of the
following Notifications (Hindi and English versions) under article 309 of the
Constitution:-

- (1) The National Fire Service College, Nagpur, Accounts Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.274 in Gazette of India dated 5th September, 2017.
- (2) The National Fire Service College, Nagpur, Administrative Officer, Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.287 in Gazette of India dated 14th September, 2017.
- (3) The National Fire Service College, Nagpur, (Junior Translator), Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.288 in Gazette of India dated 14th September, 2017.
- (4) The National Fire Service College, Nagpur, Librarian (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.289 in Gazette of India dated 14th September, 2017.
- (5) The National Fire Service College, Nagpur, Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.286 in weekly Gazette of India dated 16th September, 2017.

- (6) The Ministry of Home Affairs, National Fire Service College, Fire and Rescue Operator (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.429 in Gazette of India dated 5th September, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8501/16/18]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) (एक) सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स ऑथरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल अडोप्शन रिसोर्स ऑथरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8502/16/18]

- (2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कारपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कारपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8503/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI ANANTKUMAR HEGDE): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Noida, for the years 2014-2015 & 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Noida, for the years 2014-2015 & 2015-2016.

- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8504/16/18]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 8505/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to lay on the Table:--

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8506/16/18]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8507/16/18]

- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8508/16/18]

- (4) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2016-2017 alongwith Audited Accounts in respect of the following centres:-

- (i) Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad.

[Placed in Library, See No. LT 8509/16/18]

- (ii) Population Research Centre (Department of Statistics, Guwahati University), Guwahati.

[Placed in Library, See No. LT 8510/16/18]

- (iii) Population Research Centre (Department of Statistics, Patna University), Patna.

[Placed in Library, See No. LT 8511/16/18]

- (iv) Centre (Department of Statistics, Gokhale Institute of Politics and Economics), Pune.
[Placed in Library, See No. LT 8512/16/18]
- (v) Population Research Centre (Department of General and Applied Geography, Dr. Harisingh Gour University), Sagar.
[Placed in Library, See No. LT 8513/16/18]
- (vi) Population Research Centre (Himachal Pradesh University), Shimla.
[Placed in Library, See No. LT 8514/16/18]

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SURESH PRABHU): On behalf of Shri C.R. Chaudhary, I beg to lay on the Table:--

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2016-2017.
[Placed in Library, See No. LT 8515/16/18]
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the year 2015-2016.
(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 8516/16/18]

- (4)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8517/16/18]

- (5)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8518/16/18]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8519/16/18]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8520/16/18]

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8521/16/18]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8522/16/18]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Special Economic Zone Authority, Visakhapatnam, for the years 2009-2010 to 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visakhapatnam Special Economic Zone Authority, Visakhapatnam, for the years 2009-2010 to 2014-2015.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 8523/16/18]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kandla Special Economic Zone Authority, Kandla, for the years 2009-2010 to 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kandla Special Economic Zone Authority, Kandla, for the years 2009-2010 to 2014-2015.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 8524/16/18]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras Export Processing Zone Authority, Chennai, for the years 2009-2010 to 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras Export Processing Zone Authority, Chennai, for the years 2009-2010 to 2014-2015.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 8525/16/18]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cochin Special Economic Zone Authority, Cochin, for the years 2009-2010 to 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Special Economic Zone Authority, Cochin, for the years 2009-2010 to 2014-2015.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 8526/16/18]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8527/16/18]

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8528/16/18]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kolhapur Foundry and Engineering Cluster, Kolhapur, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolhapur Foundry and Engineering Cluster, Kolhapur, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8529/16/18]

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marathwada Auto Cluster, Aurangabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marathwada Auto Cluster, Aurangabad, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8530/16/18]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ahmedabad Textile Cluster-Narol Textile Infrastructure and Enviro Management Ahmedabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ahmedabad Textile Cluster-Narol Textile Infrastructure and Enviro Management Ahmedabad, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8531/16/18]

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bamboo Technology Park, Guwahati, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bamboo Technology Park, Guwahati, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8532/16/18]

(23) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Ahmedabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 8533/16/18]

(24) A copy of the Rubber (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1513(E) in Gazette of India dated 14th December, 2017 under sub-section (3) of Section 25 of the Rubber Act, 1947.

[Placed in Library, See No. LT 8534/16/18]

(25) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986:-

(i) The Electrical Capacitors (Quality Control) Order, 2017 published in Notification No. S.O.2434(E) in Gazette of India dated 2nd August, 2017.

- (ii) The Electrical Efficient Induction Motors-Three Phase Squirrel Cage (Quality Control) Order, 2017 published in Notification No. S.O.178(E) in Gazette of India dated 19th January, 2017.
 - (iii) The Energy Efficient Induction Motors-Three Phase Squirrel Cage (Quality Control) Amendment Order, 2017 published in Notification No. S.O.3207(E) in Gazette of India dated 29th September, 2017.
- (26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 8535/16/18]

- (27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8536/16/18]

- (28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8537/16/18]

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Registry, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Registry, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8538/16/18]

(30) A copy of the Patents (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1472(E) in Gazette of India dated 1st December, 2017 under Section 160 of the Patents Act, 1970.

[Placed in Library, See No. LT 8539/16/18]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन, अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (तकनीकी संस्थान के लिए अनुमोदन देना) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ. सं. एबी/एआईसीटीसी/रेग./2016 प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (राष्ट्रीय रोजगारपरकता संवृद्धीकरण मिशन) (एनईईएम) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ. सं. 3-1/डी-एसडीसी/एनईईएम/2017 प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) एआईसीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनपर निर्भर परिवार सदस्यों के लिए आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीसी) मेडिकल स्कीम, 2017 जो 21 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ. सं. 108-152/बी1/एडमिन (मेडि.)/2013 प्रकाशित हुई थी ।

[Placed in Library, See No. LT 8540/16/18]

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट्स आफ टेक्नोलाजी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च अधिनियम, 2007 की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, आंध्र प्रदेश, 2017 परिनियम जो 3 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 988 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8541/16/18]

(3) केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश और एक परिनियम संशोधन जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीयूजी/रेगुलेशन/04/2010/550 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 220/एकेडमिक/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित परिनियम 22 संशोधन जो 21 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीयूके/एसटीएटी/एमेंडमेंट/12/03126 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की प्रविष्टि सं. (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8542/16/18]

(5) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8543/16/18]

- (6) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8544/16/18]

- (7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8545/16/18]

- (9) (एक) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8546/16/18]

- (10) (एक) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8547/16/18]

- (11) (एक) कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8548/16/18]

- (12) (एक) बोर्ड आफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बोर्ड आफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8549/16/18]

- (14) (एक) डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8550/16/18]

- (15) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8551/16/18]

- (16) (एक) पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8552/16/18]

- (17) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8553/16/18]

- (18) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8554/16/18]

- (19) (एक) नार्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नार्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8555/16/18]

- (20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्लि, तिरुचिरापल्लि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्लि, तिरुचिरापल्लि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8556/16/18]

(22) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8557/16/18]

(24) (एक) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8558/16/18]

(25) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 8559/16/18]

(26) (एक) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8560/16/18]

- (27) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8561/16/18]

- (28) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8562/16/18]

- (29) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8563/16/18]

- (30) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8564/16/18]

- (31) (एक) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8565/16/18]

- (32) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8566/16/18]

- (33) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8567/16/18]

- (35) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8568/16/18]

- (36) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ उड़ीसा, कोरापुट के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ उड़ीसा, कोरापुट के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ उड़ीसा, कोरापुट के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8569/16/18]

- (37) (एक) बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8570/16/18]

- (38) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8571/16/18]

- (39) (एक) इंगलिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंगलिश एंड फारेन लैंगवेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) इंगलिश एंड फारेन लैंगवेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8572/16/18]

- (40) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8573/16/18]

- (41) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8574/16/18]

- (42) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ हिन्दी, आगरा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ हिन्दी, आगरा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8575/16/18]

- (43) (एक) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोना हिल्स के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोना हिल्स के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8576/16/18]

- (44) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8577/16/18]

- (45) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रावंग्ला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रावंग्ला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8578/16/18]

- (47) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8579/16/18]

- (48) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8580/16/18]

- (49) (एक) नेशनल कमीशन फार माइनेरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल कमीशन फार माइनेरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) नेशनल कमीशन फार माइनेरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8581/16/18]

- (50) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8582/16/18]

- (51) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8583/16/18]

- (52) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8584/16/18]

- (53) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ साउथ बिहार, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ साउथ बिहार, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ साउथ बिहार, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8585/16/18]

- (54) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8586/16/18]

- (56) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, पालाकाड़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, पालाकाड़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, पालाकाड़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8587/16/18]

- (57) (एक) स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8588/16/18]

- (58) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 968(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 969(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 970(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 971(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 972(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 973(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 974(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (आठ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 975(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 976(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 977(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

- (ग्यारह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 968(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालाकाड का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 979(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेरह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 970(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चौदह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 981(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पन्द्रह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ का पहला परिनियम, 2017 जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 982(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 8589/16/18]

- (59) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8590/16/18]

- (60)(एक) यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8591/16/18]

- (61) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 8592/16/18]

- (62)(एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8593/16/18]

- (63) (एक) लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8594/16/18]

- (64) यूनिवर्सिटी आफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 8595/16/18]

- (65) (एक) बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नार्थ रीजन), कानपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नार्थ रीजन), कानपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8596/16/18]

- (66) नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 8697/16/18]

- (67) सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 8598/16/18]

- (68) (एक) आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8599/16/18]

- (69) (एक) महर्षि सदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि सदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8600/16/18]

- (70) (एक) स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8601/16/18]

- (71)(एक) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8602/16/18]

(72) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के संचालन के लिए शर्तें तथा मानक) विनियम, 2017, जो 15 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एआईसीटीई/पीएंडएपी/पीजीडीएम/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8603/16/18]

(73) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एडीएम-01/एसबी/2000-11/12 जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय के परिनियम का संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8604/16/18]

(74) मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या मणिपुर विश्वविद्यालय/1-10/2006 जो 8 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अध्यादेश संख्यांक सी-10, डी-8, ई-6, ई-7, ई-8, ई-9, एफ-3, एफ-5, जी-1, जी-8, एच-3, एच-4 और एच-5 के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8605/16/18]

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

‘I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 28th December, 2017 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-

“That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee, and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee.”

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Husain Dalwai
2. Shri Ram Narain Dudi
3. Shri B.K. Hariprasad
4. Shri Ahamed Hassan
5. Dr. Vikas Mahatme
6. Shri Vishambhar Prasad Nishad

7. Shri K.K. Ragesh
 8. Shrimati Vijila Sathyananth
 9. Shri Ram Nath Thakur
 - 10 Shrimati Chhaya Verma'
-

12.03 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS
Minutes

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to lay on the Table the Minutes (Hindi and English versions) of the Thirty-seventh and Thirty-eighth sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current session.

12.04 hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED
CASTES AND SCHEDULED TRIBES
18th Report

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to present the Eighteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2017-18) on 'Reservation for and employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Food Corporation of India (FCI)' pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
17th to 19th Reports

डॉ. शशि थरूर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'संवर्ग के लिए एक अलग से यूपीएससी परीक्षा की जरूरत, मिड कैरियर एंट्री और सेवा में प्रशिक्षण तथा उन्मुखीकरण सहित आईएफएस संवर्ग की भर्ती, संरचना और क्षमता निर्माण' विषय पर 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में* 17वां प्रतिवेदन।
- (2) 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् और प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका सहित भारत की मृदुल शक्ति कूटनीति' विषय पर 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 18वें प्रतिवेदन।
- (3) 'भारत-पाक संबंधी' विषय पर 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

* The Seventeenth Report of the Committee on External Affairs (2017-18) was presented to Hon^{ble} Speaker, Lok Sabha on 31.08.2017 under Direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha. Hon^{ble} Speaker has accorded permission for printing, publication and circulation of the Report before it is presented/laid in the House under Rule 280 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha on 5.01.2018.

12.06 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE...contd.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): On behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2016-2017.
- (ii) Annual Report of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library, See No. LT 8471/16/18]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2016-2017.
- (ii) Annual Report of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library, See No. LT 8472/16/18]

- (c) (i) Review by the Government of the working of the HLL Biotech Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2016-2017.

- (ii) Annual Report of the HLL Biotech Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library, See No. LT 8473/16/18]

- (d)
 - (i) Review by the Government of the working of the HLL Infra Tech Services Limited, Noida, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the HLL Infra Tech Services Limited, Noida, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library, See No. LT 8474/16/18]

- (e)
 - (i) Review by the Government of the working of the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Pernem, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Pernem, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library, See No. LT 8475/16/18]

- (2)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2016-2017.

[Placed in the Library, See No. LT 8476/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 2016-2017.

[Placed in the Library, See No. LT 8477/16/18]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in the Library, See No. LT 8478/16/18]

- (5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Arogya Nidhi, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

[Placed in the Library, See No. LT 8479/16/18]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dental Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dental Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in the Library, See No. LT 8480/16/18]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

(i) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fifteenth Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. 2/Std/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016(part) in Gazette of India dated 31st October, 2017.

(ii) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Sixteenth Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. A-1(1)/Agmark/2012/FSSAI(Pt.I) in Gazette of India dated 21st November, 2017.

(iii) The Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) First Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. A-1(1)/Standards/MMP/2012 in Gazette of India dated 13th October, 2017.

[Placed in the Library, See No. LT 8481/16/18]

- (8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 20 of the Dentists Act, 1948:-

(i) The “Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of

Admission Capacity in Dental Colleges) (12th Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. DE-22(12)-2017 in Gazette of India dated 11th October, 2017.

(ii) Notification No. DE-22(11)-M2-2017 published in Gazette of India dated 12th December, 2017 containing corrigendum to the Notification No. DE-22-2017 dated 28th June, 2017.

(iii) Notification No. DE-22(12)-M2-2017 published in Gazette of India dated 12th December, 2017 containing corrigendum to the Notification No. DE-22(12)-2017 dated 3rd October, 2017.

(iv) Notification No. DE-22(9)-M2-2017 published in Gazette of India dated 12th December, 2017 containing corrigendum to the Notification No. DE-22-2017 dated 4th July, 2017.

[Placed in the Library, See No. LT 8482/16/18]

12.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
294th to 299th Reports

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) 'सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना' विषय पर 283वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 294वां प्रतिवेदन।
 - (2) 'भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के समक्ष मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर 284वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 295वां प्रतिवेदन।
 - (3) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 287वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 296वां प्रतिवेदन।
 - (4) उच्च शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 297वां प्रतिवेदन।
 - (5) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 289वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 298वां प्रतिवेदन।
 - (6) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 पर 299वां प्रतिवेदन।
-

12.08 hrs**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION
NO. 2831 DATED 04.01.2018 . REGARDING IMPLEMENTATION
OF DILRMP IN ANDHRA PRADESH***

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री रामकृपाल यादव की ओर से 'आंध्र प्रदेश में डीआईएलआरएमपी का कार्यान्वयन' के बारे में डॉ. गोकाराजू गंगा राजू, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2831 के संबंध में 4 जनवरी, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8606/16/18

CORRECTED REPLY

Implementation of DILRMP in Andhra Pradesh

2831. SHRI GOKARAJU GANGA RAJU:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) Whether the Government is implementing Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) in order to streamline the land records across the country and if so, the details thereof;
- (b) The details of funds allocated under DILRMP to Andhra Pradesh during each of the last three years and the current year;
- (c) Whether the Expert Committee on Land Titling has recommended that it is essential that the spatial and textual records are integrated and unified for a guaranteed titling system;
- (d) Whether the Government has allocated funds under DILRMP for surveys and re-surveys across the country and if so, the details thereof;
- (e) Whether out of 17,563 villages in Andhra Pradesh survey/resurvey work has been started only in 0.6% of villages and the survey/resurvey work is yet to be started in 99.3% of the villages and if so, the details thereof and the reasons therefore; and
- (f) Whether the funds earmarked for survey/re-survey under DILRMP has been diverted to other schemes and if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(SHRI RAM KRIPAL YADAV):

(a) to (f) The erstwhile National Land Records Modernization Programme (NLRMP) was being implemented as a Centrally Sponsored Scheme since 2008-09. It has been revamped as the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) in 2015-16.

The DILRMP has been made a Central Sector Scheme with cent per cent Central funding with effect from 01st April 2016.

The DILRMP has the following components:

- 1) Computerization of Land Records
- 2) Survey/Resurveys and updating of the survey and settlement Records
- 3) Computerization of Registration
- 4) Modern Record Rooms–Land Records Management Centre at Tahsil/Taluk/Circle/Block level
- 5) Training and capacity building
- 6) Core GIS
- 7) Legal Changes and
- 8) Programme management

One or more components have been sanctioned in 457 districts of the 36 States/Union Territories in the country.

States can supplement and add State-specific needs and requirements as they may deem relevant and appropriate.

Rs. 1393 crore has been released in the country so far, of which Rs. 94.55 crore has been released to the State of Andhra Pradesh.

Funds released to the State of Andhra Pradesh during the last three years and in the current year are given below:

(Rs. in Crore)		
Sl. No.	Year	Amount
1.	2014-15	0.00
2.	2015-16	0.00
3.	2016-17	20.00
4.	2017-18(upto 31.12.2017)	19.50
Total		39.50

Rs. 642.94 crore has been released for the component of Survey/Resurveys and updating of the survey and settlement Records in the country so far, of which Rs. 1.35 crore has been released to the State of Andhra Pradesh.

As per a report dated 28-12-2017 received from the State Government, Andhra Pradesh have taken up survey of 34 unsurveyed villages only pending since enactment of Estate Abolition Act, 1948 under DILRMP.

Unspent balances are allowed to be used from one component to another compnent at the requests of the States and after examining the appropriateness of the requests and with competent approval in the normal course of implementation of the programme.

Unspent balances from the component of Survey/Resurveys and updating of the survey and settlement Records to other compenents have not been allowed till now in the State of Andhra Pradesh. [The unspent balance with the State of Andhra Pradesh in the component of Survey/Resurveys and updating of the survey and settlement Records is Rs. 1.35 Crore.]

The programme is implemented as per its schematic guidelines and as per the decisions taken and directions issued from time to time with competent approval in the normal course.

Committee reports etc. are examined for appropriate and competent decision in the normal course of implementaton of the programme.

12.09 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Outcomes of 11th Ministerial Conference of the World Trade Organization held in Buenos Aries, Argentina*

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SURESH PRABHU):
Madam, with your permission, I would like to make a statement on the recent 11th Ministerial Conference of the World Trade Organisation which was held in Buenos Aries from 10 to 13 December, 2017. I have already circulated the Statement but I will just give the gist of it to save the time of the House.

In the run-up to the Conference, decisions were expected on a permanent solution on the issue of public stockholding for food security purposes and other agriculture issues. Some WTO member countries were seeking outcomes on domestic regulations in services, disciplines on fisheries subsidies, e-commerce, Invest Facilitation and Micro, Medium and Small Enterprises.

We worked closely with all the members and we are hoping for a solution. We had a number of bilateral meetings as well. But, to reiterate, India participated in a positive spirit in the Ministerial Conference and worked proactively with other WTO member countries across issues to constructively find a way forward. Towards this end, India was a proponent in nearly all agenda items under consideration, including public stockholding for food security, an agricultural Special Safeguard Mechanism, agricultural domestic support and the way forward on e-commerce. On Domestic Regulations in Services, India engaged by contributing textual suggestions to find a common way forward on the proposed text.

India had created strong coalitions based on common interests in agriculture and other areas. Leading up to the Ministerial and at the Ministerial itself, India's coalition

* Also placed in the Library, See No. LT 8607/16/18

partners remained steadfast in their support not only for a permanent solution on public stockholding but also on other issues of interest to developing countries.

The 53-member African Group as well as a large number of other developing countries supported India in opposing premature rule making in E-commerce and the attempts to bring new issues such as Investment Facilitation and MSME into the WTO's agenda.

India stood firm on its stand on the fundamental principles of the WTO including multilateralism, rule-based consensual decision-making, an independent and credible dispute resolution and appellate process, the centrality of development and special and differential treatment for all developing countries. I wish to assure the House that India is committed to preserving and promoting the WTO and the multilateral trading system with a view to taking the agreed agenda of the WTO forward.

Thank you Madam.

12.09 ½ hrs**(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 245th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Culture***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 245th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Culture.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8608/16/18.

12.10 hrs

**(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 280th
Report of the Standing Committee on Industry on Demands
for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Micro,
Small and Medium Enterprises ***

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in the Library, See No. LT 8609/16/18.

12.10 ½ hrs**(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 201st Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Home Affairs***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Kiren Rijiju, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 201st Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Home Affairs.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8610/16/18.

12.11 hrs

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, on Demands for Grants (2017- 18) pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8611/16/18.

12.11 ½ hrs

(vi) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 131st Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 123rd Report of the Committee on Export Infrastructure in India, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SURESH PRABHU): On behalf of Shri C.R. Chaudhary, I beg to lay a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 131st Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 123rd Report of the Committee on Export Infrastructure in India, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry.

* Laid on the Table and also placed in the Library, See No. LT 8612/16/18.

12.12 hrs

**(vi) (b) Status of implementation of the recommendations contained in the
133rd Report of the Standing Committee on Commerce on
Demands for Grants (2017-18), Demand No.12, pertaining
to the Department of Industrial Policy and Promotion,
Ministry of Commerce and Industry***

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SURESH PRABHU): On behalf of Shri C.R. Chaudhary, I beg to lay a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 133rd Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2017-18), Demand No.12, pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8613/16/18

12.12 ½ hrs

(vi)(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 135th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 132nd Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), Demand No.11, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SURESH PRABHU): On behalf of Shri C.R. Chaudhary, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 135th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 132nd Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), Demand No.11, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8614/16/18.

12.13 hrs

(vii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 274th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 265th Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16), Demand No. 60, pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SATYA PAL SINGH): I beg to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 274th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 265th Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16), Demand No. 60, pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development

(1) In pursuance of direction 73A of directions by the hon. Speaker, Lok Sabha, I intend to make the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the Two Hundred Seventy Fourth Report of the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

The Standing Committee on HRD examined the action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Two Hundred Sixty-Fifth Report on Demands for Grants 2015-2016 (Demand No. 60) of the Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development) and presented their 274th Report in Rajya Sabha, which was laid simultaneously in Lok Sabha on 16th March, 2016. The status of implementation of this report has already been sent to Rajya Sabha Secretariat on 21st September, 2017.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8615/16/18.

I, herewith, lay the status of implementation/ Action Taken Note on the recommendations made in Chapter III and Chapter IV of the 274th Report on the Table of the House.

12.13 ½ hrs**(vii)(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 279th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2016-17), Demand No. 52, pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SATYA PAL SINGH): I beg to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 279th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2016-17), Demand No. 52, pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development

(2) In pursuance of direction 73A of directions by the hon. Speaker, Lok Sabha, I intend to make the statement on the action taken on the recommendations contained in the Two Hundred Seventy Ninth Report of the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

The Standing Committee on HRD presented their Two Hundred Seventy Ninth Report on Demands for Grants 2016-17 (Demand No. 52) of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development in Rajya Sabha, which was laid simultaneously in Lok Sabha on 27th April, 2017. Action Taken Note of this report has already been sent to Rajya Sabha Secretariat (English version on 16th January 2017 and Hindi version on 03rd February 2017).

* Laid on the Table and also placed in the Library, See No. LT 8616/16/18.

I, herewith, lay the Action Taken Note on the observations/ recommendations made in the 279th Report on the Table of the House.

12.14 hrs

(vii)(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 284th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on the subject 'Issues and Challenges before Higher Educational Sector in India', pertaining to the Ministry of Human Resource Development*

STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SATYA PAL SINGH): I beg to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 284th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on the subject 'Issues and Challenges before Higher Educational Sector in India', pertaining to the Ministry of Human Resource Development

(3) In pursuance of direction 73A of directions by the hon. Speaker, Lok Sabha, I intend to make the statement on the action taken on the recommendations contained in the Two Hundred Eighty Fourth Report of the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

The Standing Committee on HRD presented their Two Hundred Eighty Fourth Report on Issues and Challenges before Higher Educational Sector in India in Rajya Sabha, which was laid simultaneously in Lok Sabha on 08th February, 2016. Action Taken Note of this report has already been sent to Rajya Sabha Secretariat (English version on 05th July, 2017 and Hindi version on 28th November 2017).

I, herewith, lay the Action Taken Note on the observations/ recommendations made in the 284th Report on the Table of the House.

* * Laid on the Table and also placed in the Library, See No. LT 8617/16/18.

12.15 hours**CONSUMER PROTECTION BILL, 2015 - Withdrawn**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपभोक्ताओं के हितों के पर्याप्त संरक्षण के लिए और अनुचित व्यापारिक व्यवहार को प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और उचित प्रशासन के लिए अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के लिए तथा उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी समाधान के लिए उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाला विधेयक* वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to withdraw a Bill to provide for adequate protection of the interests of consumers and for prevention of unfair trade practices and for the said purposes to make provisions for establishment of the Consumer Protection Councils and other authorities for better administration and for timely and effective settlement of consumers’ disputes and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री राम विलास पासवान : महोदया, मैं विधेयक वापस लेता हूँ।

* The Bill was introduced on 10 August, 2015 and referred to the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution for examination and report. The Report of the Committee was presented to Lok Sabha on 26 April, 2016. A Statement containing reasons for which the Bill is being withdrawn has been circulated to Members on 28 December, 2017 (Morning).

12.15 ½ hrs

GOVERNMENT BILLS-Introduced

(i) Consumer Protection Bill, 2018*

श्री राम विलास पासवान : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of the interests of consumers and for the said purpose, to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers’ disputes and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राम विलास पासवान : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 5.1.2018

** Introduced with the recommendation of the President.

12.16 hrs

(ii) New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): On behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment and incorporation of New Delhi International Arbitration Centre for the purpose of creating an independent and autonomous regime for institutionalized arbitration and for acquisition and transfer of undertakings of the International Centre for Alternative Dispute Resolution and to vest such undertakings in the New Delhi International Arbitration Centre for the better management of arbitration so as to make it a hub for institutional arbitration and to declare the New Delhi International Arbitration Centre to be an institution of national importance and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment and incorporation of New Delhi International Arbitration Centre for the purpose of creating an independent and autonomous regime for institutionalized arbitration and for acquisition and transfer of undertakings of the International Centre for Alternative Dispute Resolution and to vest such undertakings in the New Delhi International Arbitration Centre for the better management of arbitration so as to make it a hub for institutional arbitration and to declare the New Delhi International Arbitration Centre to be an institution of national importance and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 5.1.2018

** Introduced with the recommendation of the President.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मुझे एक मिनट समय दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं। हो गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बस हो गया। नहीं, कुछ नहीं बोलना है।

... (व्यवधान)

12.17 hrs

VALEDICATORY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के समापन पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी।

सोलहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र, जो 15 दिसम्बर, 2017 को आरम्भ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान, हमने 13 बैठकें कीं जो लगभग 61 घण्टे चलीं। इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए। वर्ष 2017-18 के लिए सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स - सेकण्ड एण्ड थर्ड बैच के बारे में छः घण्टे से अधिक की चर्चा हुई और तत्पश्चात् इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए।

वर्तमान सत्र के दौरान 16 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। यह बहुत अच्छी उपलब्धि है कि कुल मिलाकर 12 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित हैं:

- केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
- The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017
- The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017
- The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017
- The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017
- The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017
- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2017

इस सत्र के दौरान, 280 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 45 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन प्रतिदिन लगभग 3.46 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 3220 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभापटल पर रखे गए।

सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठकर लगभग 198 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले, जिसको आप जीरो आवर भी कहते हैं, मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 226 मामले भी उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा में करीब 41 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा में दक्षिण भारत में 'ओक्खी' चक्रवात के विशेष संदर्भ में, देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नियम 193 के अधीन एक अल्पकालिक चर्चा भी हुई और चर्चा गृह मंत्री के उत्तर के साथ पूरी हुई। अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा करीब 55 वक्तव्य दिए गए हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में 2 वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों ने करीब 2255 पत्र सभा पटल पर रखे।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के करीब 98 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री विनसेंट एच.पाला द्वारा पिछले सत्रों के दौरान पेश किए गए संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 29 दिसंबर, 2017 को आगे चर्चा के लिए लिया गया, तथापि चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, विभिन्न रक्षा स्थापनों के समीप स्थित भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में श्री गोपाल चिनय्या शेड्डी द्वारा पेश किए गए संकल्प पर 22 दिसंबर, 2017 को आगे चर्चा हुई तथा उसी दिन सभा की अनुमति से इसे वापस भी ले लिया गया। श्री राघव लखनपाल द्वारा 22 दिसंबर, 2017 को जनसंख्या नियंत्रण पर एक सख्त नीति के कार्यान्वयन के बारे में अन्य संकल्प पेश किया गया और इस पर आंशिक चर्चा हुई।

इस सत्र में, व्यवधानों और उसके परिणामस्वरूप किए गए स्थगनों के कारण 14 घंटे और 51 मिनट का समय नष्ट हुआ, फिर भी सभा ने 8 घंटे और 10 मिनट देर तक बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारु रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनके साथ राज्य मंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं, श्री खड़गे जी समेत, खड़गे जी का नाम ले रही हूं, बहुत अच्छा सहयोग दिया है, विभिन्न समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर हमारे महासचिव और लोक सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती

हूं। मैं सभा की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए संबंधित सभी एजेंसियों का भी धन्यवाद करती हूं।

12.23 hrs

NATIONAL SONG

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब 'वंदे मातरम्' की धुन बजाई जाएगी।

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

12.24 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.
